आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

24-02-2014

न्यायालय, समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

आदेश

वाद संख्या–सी0आर0मए0–23 / 12–13

राजहरण यादव

बनाम

सरकार

यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के उस आदेश दिनांक 12.02.2010 के विरूद्ध दायर किया गया है जिनके द्वारा अपीलकर्ता राजहरण सिंह यादव पिता–स्व0 रामप्रित यादव सा0–बेहरी छवरिया टोला थाना–भंगहा जिला–पश्चिम चम्पारण की अनुज्ञप्ति संख्या–02 / 2009 को रदद् कर दिया गया है।

अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह– अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका दाखिल किया गया। जिसका सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–19330 / 2012 राजहरण यादव बनाम सरकार है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.10.2012 को समय अवधि को क्षान्त करते हुए अपीलकर्ता के अपील आवेदन पर अधोहस्ताक्षरी को सुनवाई करने के लिए आदेश पारित किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपीलकर्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपील दाखिल किया गया। निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गयी। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनियमितता पाई गयी है :–

i. कार्यअवधि में बिना पूर्व सूचना के दुकान निरीक्षण के क्रम में बंद पाया गया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

ii. वी0पी0एल0 लाभुको को जुलाई–08 से मार्च–09 तक मात्र एक माह के खाद्यान्न का वितरण किया गया।

iii. अन्त्योदय लाभुको को जुन–08 से मार्च–09 तक तीन माह के खाद्यान्न का वितरण किया गया है तथा लाभुको से इसके विरूद्ध चार कूपन फाड़ लिया गया है। सितम्बर–08 से मार्च–09 तक खाद्यान्न का वितरण लाभुको के बीच नही करने सहित मार्च 2007 से मार्च–09 तक का कूपन जमा नही किया गया। इन आरोप के बिन्दु पर अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। निर्धारित तिथि तक स्पष्टीकरण समर्पित करने पर पुनः अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अपीलकर्ता द्वारा स्पष्टीकरण में लाभुको से प्राप्त कूपन को प्रखंड कार्यालय मैनाटांड़ में जमा कराकर विवरणी संलग्न किया गया तथा शेष खाद्यान्न भण्डार में भण्डारित होने की बात कही गयी है।

अपीलकर्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर मंतव्य एवं भण्डार का सत्यापन प्रतिवेदन की मांग अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी नरकटियागंज द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मैनाटांड़ से की गयी। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि जनवितरण दुकानदार विक्रेता ने जो कूपन जमा कराये गये है वह फर्जी है तथा उनके भण्डार में अवशेष खाद्यान्न भण्डारित नही है। इस प्रकार अपीलकर्ता का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नही होने तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मैनाटांड़ के प्रतिवेदन के अधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

अपीलकर्ता के अनुज्ञप्ति संख्या–02/2009 को दिनांक 12.02.2010 को रदद् कर दिया गया।

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.08.2013 को न्यायालय में सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहें। पुन : दिनांक 20.09.2013 को अनुपस्थित रहने के कारण अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका दिया गया। लेकिन अंतिम मौका दिये जाने के बाद भी चार निर्धारित विभिन्न तिथियों (यथा दिनांक 25.09.2013, 17.10.2013, 27.11.2013 एवं 26.12.2013) में न्यायालय में उपस्थित नही हुए न ही न ही उनके उपर लगे आरोप के संबध में अपना पक्ष रख सकें। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता अपना पक्ष रखना नही चाहते है तथा इस वाद में उन्हें कोई अभिरूची नही है। अतः न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया। अपीलकर्ता द्वारा निम्नांकित तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को रदद् करने हेतु अनुरोध किया गया है :–

i. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निलंबन से संबंधित अभिलेख जिला स्तरीय नियुक्ति समिति के समक्ष एक पक्ष के अन्दर भेजने में असफल रही जिसे उन्हें Bihar control Order 2001 के Clause (V) के अनुसार भेजना आवश्यक था और इसी के अनुसार निलंबन की अधिकतम सीमा 90 दिन ही घोषित है जो दिनांक 16.12.2009 को समाप्त हो गयी और इस अवधि में नियुक्ति समिति द्वारा कोई अनुशंसा नही की गयी।

ii. अपीलकर्ता का कहना है कि उनके द्वारा की गयी कारण पृच्छा पर निम्न न्यायालय द्वारा कोई विचार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

नही किया गया बल्कि उसे मंतव्य लेने हेतु तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मैनाटांड़ को व्यक्तिगत रूप से भंडार एवं कूपन का सत्यापन करने हेतु भेज दिया गया लेकिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मैनाटांड़ द्वारा बिना भंडार एवं कूपन का स्थलीय भौतिक सत्यापन किये ही अपना प्रतिवेदन (Table report) समर्पित कर दिया गया।

अपीलकर्ता द्वारा उठाये गये कंडिका–1 में वर्णित BIHAR CONTROL ORDER 2001 CLAUSE 7(V) के संबंध में लेकिन विशेष लोक अभियोजक (7EC) पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा बताया गया कि सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 5738, दिनांक 23.06.2011 के द्वारा उपरोक्त Clause को विलोपित कर दिया गया है। अतः अपीलकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दु का कोई बैधानिक आधार नही है।

कंडिका–2 में वर्णित तथ्यों के संबंध में अपीलकर्ता का यह कहना कि उनके कारण पृच्छा पर निम्न न्यायालय द्वारा कोई विचार नही किया गया बल्कि उसे मंतव्य लेने हेतु प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मैनाटांड़ को भेज दिया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया जिसे ज्ञात होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, मैनाटांड़ के जांच प्रतिवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने विक्रेता राजहरण यादव से कार्यावधि में बिना पूर्व सूचना के दुकान बंद रखने वी0पी0एल0 लाभुको से जुलाई 2008 से मार्च–2009 तक मात्र एक माह के खाद्यान्न का वितरण करने, अन्त्योदय लाभुको को जून–08 से मार्च–09 तक तीन माह के खाद्यान्न का वितरण करने एवं लाभुको से इसके विरूद्ध 04

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

कूपन फाड़ लेने तथा सितम्बर–08से मार्च–09 तक खाद्यान्न का का वितरण लाभुकों के बीच वितरण नही करने सहित मार्च–07 से मार्च–09 तक कूपन जमा नही करने संबंधी बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। लेकिन विक्रेता द्वारा स्प्ष्टीकरण नही दिया गया। इस तरह अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विक्रेता द्वारा दिनांक 23.11.2009 तक कोई जबाब दाखिल नही किया गया। पुनः उन्हें दिनांक 23.11.2009 से स्पष्टीकरण देने हेतु सूचना निर्गत की गयी। जिस पर उन्होनें दिनांक 30.11.2009 को अपना स्पष्टीकरण दिया लेकिन उन्होनें अपने उपर लगाये गये आरोप के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नही किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा विक्रेता के स्पष्टीकरण के संबंध में जांच कराया तो पता चला कि विक्रेता द्वारा जमा कराये गये कूपन फर्जी है तथा विक्रेता के संबंध में अवशेष खाद्यान्न भंडारित नही है। इस तरह अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पूर्ण विचार करने के पश्चात ही विक्रेता के स्पष्टीकरण को संतोषप्रद न पाकर अनुज्ञप्ति को रदद् करने का आदेश दिया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा उपर्युक्त दोनों कंडिकाओं में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि में न तो कोई कागजात ही दाखिल किया गया है न ही उचित पैरवी की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अपीलकर्ता द्वारा अपील आवेदन पत्र दाखिल किया गया है लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी वे निर्धारित तिथियों को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष नही रख सकें।

अतः उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा बिहार BIHAR CONTROL ORDER 2001 CLAUSE 7(V) अधिनियम में उठाये गये बिन्दु मात्र तकनीकी

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

कारण है। साथ ही सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 5738, दिनांक 23.06.2011 के द्वारा उपरोक्त Clasue 7(v) को विलोपित कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण एवं कूपन के संदर्भ में अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा तार्किक आदेश पारित किया गया है।

यहॉ यह भी उल्लेखिनीय है कि दिनांक 25.09.2013, 17.10.2013, 27.11.2013 एवं 26.12.2013 में निर्धारित विभिन्न तिथियों पर अपीलकर्ता को मौका दिये जाने के बाद भी उनके द्वारा उचित पैरवी नही की गयी, कोई कागजी साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया एवं बहस के लिए भी उपस्थित नहीं हुए।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अपीलकर्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह– अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 12.02.2010 को बरकरार रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया

जिला दण्डाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया